न्यायालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शेखपुरा
पीठासीन न्यायाधीश– संतोष कुमार तिवारी
सत्र प्रकरण कमांक-55/2019, सी0आई0एस0 – 55/2019
सी0एन0आर कमांक– : BRSP01-001325-2019

FORM A

IN THE COURT OF PRINCIPAL DISTRICT & SESSIONS JUDGE, SHEIKHPURA
DISTRICT- SHEIKHPURA,(BIHAR)
न्यायालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश जिला–शेखपुरा,(बिहार)
पीठासीन न्यायाधीश – संतोष कुमार तिवारी
निर्णय की तिथि– 06–08–2026
सत्र प्रकरण कमांक- 55/2019 सी0आई0एस0 – 55/2019
सी0एन0आर कमांक– : BRSP01-001325-2019

(थाना शेखपुरा (सिरारी) के अपराध कमांक 122/17 में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शेखपुरा द्वारा पारित सुपुर्दगी आदेश दिनांक 03.07.2019 से उत्पन्न मामला)

अभियोजक	बिहार राज्य
प्रतिनिधित्व द्वारा	श्री उदय नारायण सिन्हा, लोक अभियोजक, शेखपुरा।
अभियुक्तगण का नाम	1. मनोहर लाल केसरी, वल्द–स्व0 हुरो केसरी, उम्र–60 वर्ष। 2. मिथुन कुमार केसरी, वल्द–मनोहर लाल केसरी, उम्र–29 वर्ष। 3. मनीष कुमार केसरी उर्फ टालटु, वल्द–मनोहर लाल केसरी, उम्र–35 वर्ष। सा0–मनीयांडा, थाना–शेखपुरा (सिरारी), जिला–शेखपुरा।
अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता	श्री राजेन्द्र प्रसाद सिन्हा और रणविजय कुमार।

FORM B

घटना की तिथि	24.03.2017
प्राथमिकी दर्ज करने की तिथि	24.03.2017
आरोप पत्र की तिथि	12.09.2018
आरोप गठन की तिथि	04.11.2019
साक्ष्य आरंभ की तिथि	13.12.2019
निर्णय निर्धारण की तिथि	28.07.2026
निर्णय की तिथि	06.08.2026
दंडादेश की तिथि, यदि कोई हो	––––––

न्यायालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शेखपुरा
पीठासीन न्यायाधीश– संतोष कुमार तिवारी
सत्र प्रकरण कमांक-55/2019, सी0आई0एस0 – 55/2019
सी0एन0आर कमांक– : BRSP01-001325-2019

अभियुक्तगण का विवरणः–

क्र म सं0	अभियुक्तगण का नाम	गिरफ्तारी/ आत्मसमर्पण की तिथि	जमानत पर मुक्ति की तिथि	आरोपित धाराएँ	दोषसिद्ध अथवा दोषमुक्त	आरोपित दंड	दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 428 के उद्देश्य हेतु विचारण के दौरान कारा में बिताई गई अवधि
1.	मनोहर लाल केसरी	25.03.2017	20.05.2017	धारा– 341/34, 506/34, 307/34, 323/34, भा0 द0 सं0	**दोषमुक्त**	––––	––––
2.	मिथुन कुमार केसरी	16.08.2017	16.08.2017	धारा– 341/34, 506/34, 307/34, 323/34, भा0 द0 सं0	**दोषमुक्त**		
3.	मनीष कुमार केसरी उर्फ टालटु	16.08.2017	16.08.2017	धारा– 341/34, 506/34, 307/34, 323/34, भा0 द0 सं0	**दोषमुक्त**		

<u>निर्णय</u>

(1). अभियुक्तगण मनोहर लाल केसरी, मिथुन कुमार केसरी और मनीष कुमार केसरी उर्फ टालटु का धारा–341/34, 506/34, 307/34 एवं 323/34 भा0 द0 सं0 के तहत अपराध के आरोप के लिए विचारण किया गया।

(2). अभियोजन का कथानक संक्षिप्त रूप में इस प्रकार है कि दिनांक 24.03.2017 को सूचक सहजाद आलम (चांद) द्वारा सदर अस्पताल शेखपुरा के इमरजेंसी वार्ड से थाना शेखपुरा (सिरारी) जिला शेखपुरा के पुलिस पदाधिकारी के समक्ष यह फर्दबयान दर्ज कराया गया कि सूचक दिनांक 24.03.2017 को 05:00 बजे खलिहान में मो0 रासिद का मसुर काटने के लिए अपना थ्रेसर मशीन लेकर गया था उसी समय मनोहर लाल केसरी और मनीष कुमार भी उसी खलिहान में पहूँचे और सूचक से बोले कि यहॉ मसुर मत काटो। इसी बात को लेकर दोनों में वाद–विवाद हुआ। गाली देते हुए मनोहर लाल केसरी ने अपने लडके से कहा कि यह ऐसे नहीं मानेगा इसे गोली मार दो तब मनीष कुमार एवं मिथुन कुमार दोनों अपने हाथ में लिए पिस्तौल से अंधाधुध फायरिंग करने

लगे। सूचक वहाँ से अपनी जान बचाकर भागा फिर दोनों अभियुक्तगण सूचक का पिछा किये। हल्ला सुनकर सूचक का भान्जा मो0 वाहिद बचाने आया तो मिथुन कुमार पिस्तौल के वट से उसके सिर पर प्रहार किया, जिससे उसके सिर में ऑख के नीचे गंभीर चोट आई। मनीष कुमार सूचक के भान्जा को जान मारने के नियत से लाठी–डंडा से मारा।

सूचक के उक्त फर्दबयान के आधार पर अभियुक्तगण मनोहर लाल केसरी, मिथुन कुमार केसरी और मनीष कुमार केसरी उर्फ टालटु के विरूद्ध थाना शेखपुरा के अपराध कमांक 122/2017 धारा–341,323,506,307 भा0 द0 सं0 एवं 27 आयुध अधिनियम के तहत प्रथम सूचना प्रतिवेदन दर्ज कर अन्वेषण प्रारंभ किया गया।

अन्वेषण के दौरान घटना स्थल निरीक्षण किया गया। साक्षियों के कथन लेखबद्ध किए गए और अन्वेषणोपरांत अन्वेषण अधिकारी द्वारा नामजद अभियुक्तगण मनोहर लाल केसरी, मिथुन कुमार केसरी और मनीष कुमार केसरी उर्फ टालटु के विरूद्ध धारा–341,323,307,506,34 भा0 द0 सं0 एवं 27 आयुध अधिनियम के तहत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला–शेखपुरा के न्यायालय के समक्ष दिनांक 12.09.2018 को आरोप पत्र कमांक 511/2017 प्रस्तुत किया गया।

(3). उक्त आरोप पत्र के आधार पर दिनांक 09.05.2019 का मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जिला–शेखपुरा द्वारा अपराध का संज्ञान लेते हुए अभियुक्तगण मनोहर लाल केसरी, मिथुन कुमार केसरी और मनीष कुमार केसरी उर्फ टालटु के विरूद्ध धारा–341,323,307,506,34 भा0 द0 सं0 एवं 27 आयुध अधिनियम के तहत अपराध के विचारण हेतु अग्रिम कार्यवाही प्रारंभ की गयी और मामला सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय होने से दिनांक 03.07.2019 को पारित आदेश द्वारा मामले को सत्र न्यायालय के समक्ष सुपुर्द किया गया।

(4). अभियुक्तगण मनोहर लाल केसरी, मिथुन कुमार केसरी और मनीष कुमार केसरी उर्फ टालटु के विरूद्ध दिनांक 04.11.2019 को धारा– 341/34, 506/34, 307/34 एवं 323/34 भा0 द0 सं0 के अंतर्गत आरोप गठित कर उन्हें हिन्दी में पढकर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्तगण द्वारा सभी आरोपों को अस्वीकार कर विचारण का दावा किया गया, जिसके परिणामस्वरूप विचारण की कार्यवाही प्रारंभ हुई।

(5). अभियोजन पक्ष के साक्ष्य की समाप्ति के पश्चात् दिनांक 29.04.2025 को इस सत्र विचारण

के अभियुक्तगण मनोहर लाल केसरी, मिथुन कुमार केसरी और मनीष कुमार केसरी उर्फ टालटु का धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत परीक्षण कर उनका कथन लेखबद्ध किया गया। अभियुक्तगण द्वारा स्वयं को निर्दोष बताते हुए उन्हें झूठा फॅसाने की बात कही गयी। अभियुक्तगण द्वारा बचाव में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया।

(6). इस प्रकार इस सत्र विचारण में न्यायालय के समक्ष मुख्य विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण मनोहर लाल केसरी, मिथुन कुमार केसरी और मनीष कुमार केसरी उर्फ टालटु के विरूद्ध आरोपित आरोपों को साबित करने में सफल रहा है।

विनिश्चय Finding

(7). इस सत्र विचारण में अभियोजन पक्ष द्वारा मात्र पॉच अभियोजन साक्षियों, अभियोजन साक्षी संख्या–01, डॉ0 विनय कुमार, अभियोजन साक्षी सं0–02, सुबालाल पासवान, अभियोजन साक्षी सं0–03, हसन इमाम, अभियोजन साक्षी संख्या–4 शहजाद आलम उर्फ चांद और अभियोजन साक्षी संख्या–5 कमरू जमा का न्यायालय के समक्ष परीक्षण कराया गया है, और दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में मो0 वाहिद के जख्म प्रतिवेदन पर डॉ0 विजय कुमार के हस्ताक्षर को प्रदर्श–1, फर्दबयान पर हसन इमाम के हस्ताक्षर को प्रदर्श–2, गिरफ्तारी मेमों पर हसन इमाम के हस्ताक्षर को प्रदर्श–3 और फर्दबयान पर सूचक शहजाद आलम उर्फ चॉद के हस्ताक्षर को प्रदर्श–4 के रूप में न्यायालय के समक्ष प्रदर्शित कराया गया है।

(8). अभियोजन साक्षी संख्या–1 डॉ0 विनय कुमार ने अपने मुख्य परीक्षण में यह साक्ष्य दिया है कि On 24.03.2017, I was posted as Medical Officer at Sadar Hospital Sheikhpura, I examined Md. Vahid , aged about 17 years, S/o-Abdul Sattar R/o- Maniyanda, P.S Sheikhpura, at 06:30 P.M at Sadar Hospital, Sheikhpura and found the following injuries on his person:-
Lacerated wound on left cheek below eye 1 1/2cm x ½ cm.
Abrasion on left cheek size 1” X 1/8”.
Lacerated wound on right side skull 1 ½ X 1”.
M/I- A mole on left side neck.
Age of injury- Within six hour.
Nature of injury- All above injuries are simple in nature caused by H.B.S.

उक्त जख्म प्रतिवेदन मेरे लिखावट एवं हस्ताक्षर में है, जिसे मैं पहचानता हूॅ। इसे प्रदर्श–1 अंकित किया जाता है।

बचाव पक्ष द्वारा किए गए प्रतिपरीक्षण के दौरान इस साक्षी ने कहा है कि उपरोक्त सभी जख्म साधारण प्रकृति के है। उक्त तरह के जख्म से किसी तरह का जान का

खतरा नहीं है। इस तरह के जख्म गिरने से भी संभव है। ऐसी बात नहीं है कि मैं जख्मी को कोई जख्म नहीं पाया था। ऐसी बात नहीं है कि मैं जख्मी के मेल में आकर गलत जख्म प्रतिवेदन जारी किया हूँ।

(9). अभियोजन साक्षी संख्या–02 सुबालाल पासवान ने अपने मुख्य परीक्षण में यह साक्ष्य दिया है कि मैं दिनांक 17.08.2017 को सिरारी ओ0पी0 में स0अ0नि0 के पद पर पदस्थापित था। उस दिन मुझे शेखपुरा थाना कांड सं0– 122/2017 का अनुसंधान का भार दिया गया। अनुसंधान का भार ग्रहण करने के उपरांत पूर्व में किए गए अनुसंधान का अवलोकन कर केस दैनिकी में किया। उसके बाद मेरा स्थानान्तरण हो जाने के कारण उक्त केस का अनुसंधान का भार दिनांक 11.10.2017 को ओ0पी0 प्रभारी को सौप दिए।

बचाव पक्ष द्वारा किए गए प्रतिपरीक्षण के दौरान इस साक्षी ने कहा है कि मुझे न्यायालय के द्वारा सम्मन मिला था, इसलिए आज न्यायालय में गवाही देने आया हूँ। इस केस में मैंने कोई अनुसंधान नहीं किया हूँ।

(10). अभियोजन साक्षी संख्या–3 हसन इमाम ने अपने मुख्य परीक्षण में यह साक्ष्य दिया है कि घटना के संबंध में मैं कुछ नहीं जानता। पुलिस में मेरा बयान नहीं हुआ था।

इस साक्षी द्वारा अभियोजन मामले का समर्थन नहीं करने पर अभियोजन पक्ष द्वारा न्यायालय की अनुमति से उससे सूचक प्रश्न पूछे गए है, ऐसी बात नहीं है कि मेरा पुलिस में बयान हुआ था और मैंने पुलिस को अपने बयान में कहा था कि दिनांक 24.03.2017 को उपरोक्त अभियुक्तगण मिलकर शहजाद आलम के साथ लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज किया और मुहम्मद वाहिद के साथ मारपीट कर उन्हें जख्मी कर दिया। ऐसी बात नहीं है कि मै जानबुझकर अभियुक्त के मेल में सत्य छिपा रहा हूँ।

बचाव पक्ष द्वारा किए गए प्रतिपरीक्षण के दौरान इस साक्षी ने कहा है कि मैं इस केस के बारें में कुछ नहीं जानता। पुलिस ने मुझसे कभी मेरा बयान नहीं लिया। न्यायालय के नोटिस पर गवाही देने आया हूँ।

(11). अभियोजन साक्षी संख्या–4 सहजाद आलम उर्फ चॉद ने अपने मुख्य परीक्षण में यह साक्ष्य दिया है कि मैं इस केस का सूचक हूँ। वर्ष 2017 की घटना है, तिथि याद नहीं है। 05:00 शाम की घटना है। उस समय मैं अपने घर पर था। गवाह पुनः कहते है कि मैं खेत में था जहॉ मेरा थ्रेसर चल रहा था। मनोहर लाल केसरी, मनीष कुमार केसरी, मिथुन केसरी के साथ फसल थ्रेसिंग को लेकर मेरा झगड़ा होने लगा। मिथुन कुमार केसरी ने मुझपर गोली चलाया, गोली मुझे

नहीं लगी। मनीष कुमार केसरी और मिथुन केसरी ने भी गोली चलाया लेकिन उनकी गोली मुझे नहीं लगी। मनीष और मिथुन मुझे फैट मुक्के से मारे । अभियुक्त लोग वहॉ से भाग गये। फिर मैं इलाज के लिए हॉस्पीटल गया जहॉ पुलिस आयी मेरा फर्दबयान लिया, पुलिस ने मेरा फर्द बयान दर्ज किया और मैंने उसपर अपना हस्ताक्षर किया। फर्द बयान पर साक्षी ने हस्ताक्षर की पहचान की है। साक्षी के पहचान पर संपूर्ण फर्द बयान पर प्रदर्श–2 अंकित किया जाता है। अभियुक्त आज उपस्थित नहीं है, उपस्थित रहने पर पहचान लेता।

बचाव पक्ष द्वारा किए गए प्रतिपरीक्षण के दौरान इस साक्षी ने कहा है कि धक्का–मुक्की में गिरने से मुझे चोट आयी थी। पुलिस ने दोबारा मेरा बयान नहीं लिया। मेरा अभियुक्तों के साथ समझौता हो गया है। नोटिस मिलने पर मैं न्यायालय में अपना साक्ष्य देने हेतु उपस्थित हुआ हूँ।

(12). अभियोजन साक्षी संख्या–5 कमरू जमा ने अपने मुख्य परीक्षण में यह साक्ष्य दिया है कि घटना के बारे में मैं नहीं जानता। पुलिस में मेरा बयान नहीं हुआ था।

इस साक्षी द्वारा अभियोजन मामले का समर्थन नहीं करने पर अभियोजन पक्ष द्वारा न्यायालय की अनुमति से उससे सूचक प्रश्न पूछे गए है, जिसमें इस साक्षी ने कहा है कि मनोहर लाल केसरी, मिथुन केसरी, मनीष केसरी को मैं पहचानता हूँ, जो आज न्यायालय में उपस्थित नहीं है। ऐसी बात नहीं है कि मेरा पुलिस में बयान हुआ था और मैंने बताया था कि दिनांक 24.03.2017 को समय 05:00 बजे संध्या को मनोहर लाल केसरी, मिथुन केसरी और मनीष कुमार केसरी तीनों मिलकर सज्जाद आलम उर्फ चांद के साथ गाली गलौज किया, मारपीट किया जान मारने की नियत से अंधाधुंध गोली भी चलाया। मारपीट में सज्जाद आलम जख्मी हो गया जिसका इलाज सदर अस्पताल में हुआ। ऐसी बात नहीं है कि मुदालय के मेल में सत्य को छिपा रहा हूँ।

बचाव पक्ष द्वारा किए गए प्रतिपरीक्षण के दौरान इस साक्षी ने कहा है कि आज न्यायालय में स्वेच्छा से अपना साक्ष्य दिया है।

(13). उपरोक्त साक्ष्यों के प्रकाश में यह तथ्य विचारणीय है कि अभियुक्तों के विरूद्ध लगाए गए आरोप उचित संदेह से परे साबित हुए है या नहीं।

(14). विद्वान लोक अभियोजक द्वारा अभियोजन पक्ष की ओर से तर्क/बहस के दौरान यह निवेदन किया गया कि इस मामले में अभियोजन की ओर से परीक्षित अभियोजन साक्षी संख्या–4 शहजाद आलम उर्फ चॉद जो इस मामले के सूचक है। इस साक्षी द्वारा परीक्षण के दौरान मुख्य परीक्षण में अभियोजन मामले का समर्थन किया गया है, जिसका सम्पोषण चिकित्सा अधिकारी अभियोजन साक्षी संख्या–1 डॉ0 विनय कुमार एवं अन्वेषण अधिकारी अभियोजन साक्षी संख्या–2 सुबालाल पासवान के साक्ष्य से हो रहा है।

इन साक्षियों के साक्ष्य के आधार पर अभियोजन पक्ष अभियुक्तों के विरूद्ध आरोपों का साबित करने में पूर्णतः सफल रहा है।

न्यायालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शेखपुरा
पीठासीन न्यायाधीश– संतोष कुमार तिवारी
सत्र प्रकरण कमांक-55/2019, सी0आई0एस0 – 55/2019
सी0एन0आर कमांक– : BRSP01-001325-2019

उपरोक्त आधार पर अभियोजन पक्ष द्वारा विचाराधीन अभियुक्तों को सभी आरोपित अपराधों के लिए दोषसिद्ध किये जाने का निवेदन किया गया है।

(15). अभियुक्तों के अधिवक्ता द्वारा तर्क/बहस के दौरान यह निवेदन किया गया है कि इस मामले में अभियोजन की ओर से परीक्षित कराए गए अभियोजन साक्षी संख्या–3 हसन इमाम और अभियोजन साक्षी संख्य–05 कमरू जमा द्वारा साक्ष्य के दौरान अभियोजन मामले का समर्थन नहीं किया गया है और स्वयं सूचक द्वारा मुख्य परीक्षण में प्रकट किए गए तथ्य उसके द्वारा प्रतिपरीक्षण में प्रकट किए गए तथ्यों के आलोक में विखंडित होकर अविश्वसनीय एवं संदिग्ध हो गए हैं।

इस प्रकार अभियोजन पक्ष इस मामले के विचाराधीन अभियुक्तों के विरूद्ध आरोपित अपराधों को साबित करने हेतु किसी प्रकार की कोई सामग्री या साक्ष्य विचारण के दौरान अभिलेख पर लाने में पूर्णतः विफल रहा है।

उक्त आधार पर अभियुक्तों के अधिवक्ता द्वारा उन्हें सभी आरोपों से दोषमुक्त करने का निवेदन किया गया।

(16). उभयपक्ष की तरफ से किए गए उपरोक्त तर्क/बहस के आलोक में अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य का विश्लेषण किया जा रहा है।

(17). विचाराधीन अभियुक्तगण मनोहर लाल केसरी, मिथुन कुमार केसरी और मनीष कुमार केसरी उर्फ टालटु के विरूद्ध इस मामले के एकमात्र जख्मी साक्षी मो0 वाहिद के साथ मारपीट कर उसकी हत्या करने के प्रयास सहित अन्य अपराधों के लिए धारा–341/34, 506/34, 307/34 एवं 323/34, भा0 द0 सं0 के तहत आरोप गठित कर विचारण की कार्यवाही की गई है।

उक्त आरोपों को प्रमाणित करने हेतु अभियोजन पक्ष द्वारा विचारण के दौरान कुल पॉच अभियोजन साक्षियों का परीक्षण कराया गया है, जिसमें से अभियोजन साक्षी संख्या–1 डॉ0 विनय कुमार द्वारा जख्मी/आहत मो0 वाहिद के चोटों का परीक्षण किया गया है। अभियोजन साक्षी संख्या–2 सुबालाल पासवान मामले का अन्वेषण अधिकारी है। अभियोजन साक्षी संख्या–4 सहजाद आलम उर्फ चॉद इस मामले के सूचक एवं एक अन्य आहत साक्षी है एवं अभियोजन साक्षी संख्या–3 हसन इमाम तथा अभियोजन साक्षी संख्या–5 कमरू जमा घटना के अन्य ग्रामीण प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है।

विचारण के दौरान अभियोजन के तरफ से मामले को प्रमाणित करने हेतु

परीक्षित कराए गए साक्षियों में से अभियोजन साक्षी संख्या–3 हसन इमाम एवं अभियोजन साक्षी संख्या–5 कमरू जमा द्वारा मुख्य परीक्षण में घटना के बारे में अन्वेषण अधिकारी को किसी भी प्रकार का कोई बयान देने से इंकर करते हुए घटना के बारे में पूर्णतः अनभिज्ञता जाहिर की गई और यह तथ्य प्रकट किया गया है कि घटना के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है।

इन दोनों साक्षियों द्वारा अभियोजन की तरफ से दिए गए प्रत्येक तथ्यात्मक सुझाव को नकारात्मक जबाव दिया गया है और इस तथ्य से भी इंकार किया गया है कि अभियुक्तों से मिलकर वे न्यायालय के समक्ष सही बात नहीं बता रहे हैं।

इस प्रकार अभियोजन की तरफ से परीक्षित इन दोनों साक्षियों के साक्ष्य से अभियोजन मामले के समर्थन में और अभियुक्तों के विरूद्ध आरोपित अपराधों को प्रमाणित करने हेतु किसी भी प्रकार का कोई साक्ष्य या सामाग्री अभिलेख पर उपलबध नहीं हो पाया है।

अभियोजन साक्षी संख्या–2 सुबालाल पासवान मामले का अन्वेषण अधिकारी है। अभिलेख पर उपलब्ध उसके साक्ष्य के अवलोकन से यह स्पष्ट हो रहा है कि इस साक्षी द्वारा मामले के अन्वेषण में किसी भी प्रकार का कोई ठोस कार्यवाही नहीं कि गई है। ऐसी दशा में अभियोजन मामले को प्रमाणित करने हेतु सम्पोषक साक्षी के साक्ष्य के रूप में इस साक्षी के साक्ष्य का कोई महत्व नहीं है।

अभियोजन साक्षी संख्या–4 सहजाद आलम उर्फ चॉद जो इस मामले के सूचक एवं आहत साक्षी है। इस साक्षी द्वारा मुख्य परीक्षण में अभियुक्तगण मनोहर लाल केसरी, मनीष कुमार केसरी और मिथुन कुमार केसरी के साथ फसल थ्रेसिंग को लेकर झगडा हुआ था। और उस झगडे के दौरान मनीष कुमार केसरी और मिथुन कुमार केसरी द्वारा इस साक्षी पर गोली चलाए जाने पर और गोली उसे नहीं लगने की बात कहीं है। इस साक्षी द्वारा मुख्य परीक्षण में यह तथ्य प्रकट किया गया है कि अभियुक्तगण मिथुन कुमार केसरी और मनीष कुमार केसरी द्वारा फैट–मुक्के से मारपीट की गई इसके बाद सभी अभियुकतगण भाग गए। तदोपरांत इस साक्षी को ईलाज के लिए अस्पताल लाया गया जहॉ उसका ईलाज हुआ और उसके फर्दबयान के आधार पर इस मामले के प्राथमिकी दर्ज की गई है।

परन्तु प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी द्वारा मुख्य परीक्षण के विपरीत यह तथ्य प्रकट किया गया है कि धक्का–मुक्की में गिरने से उसे चोटे आई थी। अभियुक्तों के साथ सुलह–समझौता हो गया है, इसलिए मामले को आगे नहीं चलाना चाहता हूँ।

इस प्रकार इस साक्षी के मुख्य परीक्षण और प्रतिपरीक्षए में आए तथ्यों से विचार करने यह तथ्य स्पष्ट हो रहा हे कि मुख्य परीक्षण में उसके द्वारा तीनों विचाराधीन

अभियुक्तों के साथ फसल थ्रेसिंग को लेकर झगडा हो गया था और झगडे के दौरान मिथन कुमार केसरी और मनीष कुमार केसरी द्वारा उस पर गोली चलाने तथा उसे गोली न लगने के बाद इन दोनों अभियुक्तों द्वारा उसके साथ हाथ–मुक्के से मारपीट करने की बात कही गई है।

परन्तु प्रतिपरीक्षण के दौरान इसके ठीक विपरीत इस साक्षी द्वारा धक्का–मुक्की की बात प्रकट करते हुए धक्का–मुक्की से गिर जाने से उसे चोट आने की बात बताई गई है। यह धक्का–मुक्की किसके साथ हुयी इस विषय पर भी अभिलेख पर उपलबध नहीं है। अन्वेषण के दौरान किसी भी प्रकार के कारतुस और आयुध की बरामदगी नहीं है। गोली चलने के निशान का कोई साक्ष्य अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है।

इस प्रकार इस जख्मी साक्षी द्वारा उसे आई चोटों के कारणों के संबंध में उसके मुख्य परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण में गंभीर विरोधाभाष है और यह तथ्य स्थापित हो रहा है कि बयान दर्ज कराने के अलग–अलग चरणों में इस साक्षी द्वारा चोट आने के कारणों के संबंध में अलग–अगल बाते कही गई है, जो एक दूसरे के प्रतिकुल है।

अभियोजन पक्ष द्वारा अभियुक्तों के विरूद्ध आरोपित अपराध को प्रमाणित करने हेतु अन्य किसी साक्षी का परीक्षण नहीं कराया गया है तथा अन्य कोई भौतिक साक्ष्य अभिलेख पर नहीं लाया गया है।

अभियोजन साक्षी संख्या–4 शहजाद आलम के अलावे अन्य किसी साक्षी द्वारा मौके पर गोली बारी होने के संबंध में किसी भी प्रकार का कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है। जिस शस्त्र से गोली चलाई गई थी उस शस्त्र तथा कारतुस या खोखे के संबंध में किसी प्रकार का कोई साक्ष्य अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है।

ऐसी दशा में जबकि आहत साक्षी द्वारा परीक्षण के विभिन्न चरणों में अपने बयान में मूलभूत परिवर्तन किया गया है उसको एकमात्र साक्ष्य को आधार मानकर अभियुक्तों को आरोपित अपराध हेतु अपराधिक रूप से उत्तरदायी ठहराया जाना उचित नहीं होगा।

अभियोजन साक्षी संख्या–1 डॉ0 विनय कुमार द्वारा मुख्य परीक्षण में यह तथ्य प्रकट किया गया है कि दिनांक 24.03.2017 को वे सदर अस्पताल शेखपुरा में चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थ थे। उक्त तिथि को इस साक्षी द्वारा इस मामले के आहत मो0 वाहिद के चोटों का परीक्षण किया गया। परीक्षण के दौरान उसके द्वारा मो0 वाहिद के गाल पर साधारण प्रकृति के दो चोट, सिर पर साधारण प्रकृति के एक चोट एवं घुटने में साधारण प्रकृति के नोच–खरोच पाया गया था।

परन्तु आहत साक्षी मो0 वाहिद को अभियोजन पक्ष द्वारा विचारण के दौरान न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है और अभियोजन साक्षी संख्या–4 सह सूचक सहजाद आलम उर्फ चॉद को कोई जख्म प्रतिवेदन अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है तथा चिकित्सक द्वारा साक्ष्य के दौरान कोई तथ्य प्रकट नहीं किया गया है, इससे स्पष्ट हो रहा है कि इस साक्षी द्वारा कथित आहत अभियोजन साक्षी संख्या–4 सहजाद आलम के चोटो का परीक्षण किया गया है।

इस प्रकार अभियोजन साक्षी संख्या–4 सहजाद आलम उर्फ चॉद द्वारा मुख्य परीक्षण के दौरान अभियुक्तों द्वारा उसे हाथ मुक्का से मारपीट किए जाने के संबंध में प्रकट किया गया तथ्य भी चिकित्सा अधिकारी अभियोजन साक्षी संख्या–1 डॉ0 विनय कुमार के साक्ष्य से सम्पोषित नहीं है और उनके रिर्पोट के संबंध में इस साक्षी के मुख्य परीक्षण तथा प्रतिपरीक्षण में सारभूत विरोधाभाष है।

इस प्रकार अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के उपरोक्त विश्लेषण से यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुॅची है कि अभियोजन पक्ष विचाराधीन अभियुक्तों के विरूद्ध आरोपों को प्रमाणित करने में पूर्णतः विफल रहा है।

परिणामस्वरूप उचित संदेह का लाभ देते हुए अभियुक्तगण मनोहर लाल केसरी, मिथुन कुमार केसरी और मनीष कुमार केसरी उर्फ टालटु को आरोपित अपराध धारा–341/34, 506/34, 307/34 एवं 323/34 भा0 द0 सं0 के आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है।

सभी दोषमुक्त पूर्व से जमानत पर मुक्त है। दोषमुक्ति के परिणाम स्वरूप उनके जमानत बंध पत्र विखंडित किये जाते हैं और उन्हें तथा उनके जमानतदारों को जमानत बंध पत्र के दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

(संतोष कुमार तिवारी)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जिला– शेखपुरा।
दिनांक 06.08.2026

(संतोष कुमार तिवारी)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जिला– शेखपुरा।
दिनांक 06.08.2026

न्यायालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शेखपुरा
पीठासीन न्यायाधीश– संतोष कुमार तिवारी
सत्र प्रकरण कमांक-55/2019, सी0आई0एस0 – 55/2019
सी0एन0आर कमांक– : BRSP01-001325-2019

FORM-C

अभियोजन/बचाव / न्यायालय साक्षियों की सूची

ए.अभियोजन

कम सं0	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदर्शी साक्षी, आरक्षी साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सा साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
अभि0 सा0 सं0 1	डॉ0 विनय कुमार	चिकित्सा अधिकारी
अभि0 सा0 सं0 2	सुबालाल पासवान	अन्वेषण अधिकारी
अभि0 सा0 सं0 3	हसन इमाम	प्रत्यक्षदर्शी साक्षी
अभि0 सा0 सं0 4	शहजाद आलम उर्फ चॉद	प्रत्यक्षदर्शी साक्षी/आहत साक्षी/सूचक
अभि0 सा0 सं0 5	कमरू जमा	प्रत्यक्षदर्शी साक्षी

बी.बचाव साक्षी, यदि हो तो

कमांक	नाम	(साक्ष्य की प्रकृति)चक्षुदर्शी साक्षी, आरक्षी साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सा साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी
–	–	–

सी.न्यायालय साक्षी, यदि हो तो

कमांक	नाम	(साक्ष्य की प्रकृति) चक्षुदर्शी साक्षी, आरक्षी साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सा साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी
–	–	–

अभियोजन/बचाव / न्यायालय प्रदर्शों की सूची

ए.अभियोजन

कम सं0	प्रदर्श संख्या	विवरण
1.	P1/P.W1	मो0 वाहिद के जख्म प्रतिवदेन पर डॉ0 विनय कुमार का हस्ताक्षर
2.	P2/P.W3	फर्दबयान पर हसन इमाम का हस्ताक्षर
3.	P3/P.W3	गिरफतारी मेमो पर हसन इमाम का हस्ताक्षर
4.	P4/P.W4	फर्दबयान पर शहजाद आलम उर्फ चॉद का हस्ताक्षर

बी. बचाव पक्ष

कमांक	प्रदर्श संख्या	विवरण

न्यायालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शेखपुरा
पीठासीन न्यायाधीश– संतोष कुमार तिवारी
सत्र प्रकरण कमांक-55/2019, सी0आई0एस0 – 55/2019
सी0एन0आर कमांक– : BRSP01-001325-2019

सी. न्यायालय प्रदर्श

कमांक	प्रदर्श संख्या	विवरण (जांच पंचनामा / ज्ञापन, बरामदगी पंचनामा / ज्ञापन, गिरफ्फतारी ज्ञापन, पोस्मार्टम रिपोर्ट, एफएसएल रिपोर्ट, अन्य साक्ष्य	प्रमाणित / सत्यापित

डी. वस्तु प्रदर्श

कमांक	वस्तु प्रदर्श संख्या	विवरण अपराध का हथियार, आरोपी / पीडित के वस्त्र, मोबाईल फोन / इलेक्ट्रॉनिक वस्तु / वाहन, पर्स / कान की बालियॉ / पहचान पत्र, अन्य वस्तुऍ	प्रमाणित / सत्यापित

लेखापित

संतोष कुमार तिवारी
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश शेखपुरा
दिनांक–06.08.2026

Date of Judgment/order	06.08.2026
Date of Reserving Judgment/order	28.07.2026
Uploading Date	14.08.2026
Uploaded by	Sangeeta Kumari (steno)